

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं० एफ० ७ (४७) नियम/एच.क्यू./ट्रांसपोर्ट/८७ ६९०९८ जयपुर, दिनांक : २२.०७.२०१०

अधिसूचना


मोटर यान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का केन्द्रीय अधिनियम सं० ५९) की धारा २०० की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सं० एफ० ७ (४७) नियम/एच.क्यू./ट्रांसपोर्ट/८७, जयपुर, दिनांक २१.०८.२००९ में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान कम संख्या २० एवं उसकी पृविष्टियों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

20	194 (पुलिस व यातायात पुलिस के लिए लागू नहीं) धारा 113 (3) (ख) के उल्लंघन पर (भार वाहन में क्षमता से अधिक वजनी माल का परिवहन करना)	(i) 500/- रु., 3 टन या उसके भाग तक अतिभरण के प्रकरण में। (ii) उपरोक्त के अतिरिक्त 1000/- रु., प्रत्येक टन या उसके भाग के लिए, 3 टन से अधिक और 10 टन से अनाधिक अतिभरण के प्रकरण में। (iii) उपरोक्त के अतिरिक्त 1500/- रु., प्रत्येक टन या उसके भाग के लिए, 10 टन से अधिक अतिभरण के प्रकरण में।
----	---	---

राज्यपाल के आदेश से,



(मनोज कुमार शर्मा)
उप शासन सचिव

सं० एफ० ७ (४७) नियम/एच.क्यू./ट्रांसपोर्ट/८७ ६९०९८-११० जयपुर, दिनांक : २२.०७.२०१०

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक २२.०७.२०१० में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
२. निजी सचिव, परिवहन मंत्री जी।

3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (गृह एवं यातायात) ।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त ।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त ।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा-II, राजस्थान सरकार ।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
12. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।
13. रक्षित पत्रावली ।


उप शासन सचिव (मुख्यालय)